

डी पी एच सी एल DPHCL

1st वार्षिक रिपोर्ट
1st ANNUAL REPORT
2007-08

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार का उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

डी पी एच सी एल DPHCL

1st वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

2007-08

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi - 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com

क्र.सं. SL.No.	विषय PARTICULARS	पृ.सं. PAGE No.
1.	कंपनी सूचना Company Information	1
2.	नोटिस Notice	2
3.	दिपुआनिलि की पृष्ठभूमि और कार्य Background And Fuction of DPHCL	10
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट Directors Report	14
5.	तुलन-पत्र Balance Sheet	18
6.	निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय की विवरणिका Statement of Incidental Expenditure During Construction	20
7.	अनुसूचियां (क, ख, और ग) Schedules (A, B and C)	22
8.	अनुसूची 'घ' – महत्वपूर्ण लेखांकन नीति Schedules (D) - Significant Accounting Policies	24
9.	अनुसूची 'ड' –लेखों पर टिप्पणियां Schedules (E) - Notes on Accounts	25
10.	तुलन-पत्र सार और कंपनी के कारोबार की सामान्य रूपरेखा Balance Sheet Abstract And Company's General Business Profile	27
11.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट Auditor's Report	29

कंपनी सूचना

COMPANY INFORMATION

निदेशक मंडल (2007–2008)

Board of Directors (2007-2008)

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल
Sh. Yudhbir Singh Dadwal
अध्यक्ष Chairman
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

श्रीमती विमला मेहरा
Smt. Vimla Mehra
प्रबंधक निदेशक Managing Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल
Dr. Shabd Prakash Bansal
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 16-11-2007)

डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी
Dr. Mungath Madhavan Kutty
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्री राम निवास शर्मा
Sh. Ram Niwas Sharma
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007)

श्री बेविस एंजेलो कुटिन्हो
Sh. Bevis Angelo Coutinho
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 14-12-2007 to 17-01-2008)

श्रीमती भामथी बालासुब्रमणियम
Smt. Bhamathi Balasubramaniam
निदेशक Director
(दिनांक/w.e.f. 17-03-2008)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
104, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बी-6,
सुभाष चौक लक्ष्मी नगर
दिल्ली – 110092

Statutory Auditors

M/s. Pradeep Gopal & Company
Chartered Accountants
104, Laxmi Complex, B-6,
Subhash Chowk, Laxmi Nagar,
Delhi – 110092

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Bankers

State Bank of India
I. P. Estate, New Delhi-110002

पंजीकृत कार्यालय :

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

Registered Office :

Delhi Police Housing Corporation Limited
K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate,
New Delhi – 110002

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 23378961, 23378964

ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की 1ली वार्षिक आम बैठक दिनांक 09 सितंबर, 2008 को 17:00 बजे कान्फ्रेंस हॉल, पुलिस मुख्यालय, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 में निम्नलिखित कार्य संपन्न करने के लिए होगी:

सामान्य कार्य

- 31 मार्च, 2008 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त अवधि के आकस्मिक व्यय की विवरणिका तथा उसके साथ संलग्न अनुसूचियों को एवं उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट और सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ सहित पर विचार करना, अपनाना।
- कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत वर्ष 2007-08 के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक को अनुमोदित करना और निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि वर्ष 2007-08 के लिए निगम के लेखे की लेखापरीक्षा के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 104, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बी-6, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092, कंपनी के प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षक को सभी व्ययों को मिलाकर रु.11,000/- (समेकित) का पारिश्रमिक अदा किया जाएगा।”

- वर्ष 2008-09 के लिए कंपनी के भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पुनः नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने और निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8)(ए) के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को वर्ष 2008-09 के लिए मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।”

विशेष कार्य

- श्री युद्धवीर सिंह डडवाल की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्री युद्धवीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

- श्रीमती विमला मेहरा की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

K- Block Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Tele No. 23378961, 23378964

e-mail : dphcltd@yahoo.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the first Annual General Meeting of DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED will be held on Tuesday the 9th day of September 2008 at 17:00 hrs. in the Conference Hall of Police Headquarters, I.P.Estate New Delhi-110002 to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2008 and statement of incidental expenses for the period ended on that date and schedules annexed of thereto, together with Reports of the Board of Directors and Statutory Auditors for that year and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To approve the remuneration of M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants the Statutory Auditors of the Company and to pass the following resolution as a special resolution:

"RESOLVED THAT M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants, 104, Laxmi Complex, B-6, Subhash Chowk, Laxmi Nagar Delhi-110092, the first Statutory Auditors, be paid remuneration of Rs 11,000/- (consolidated) inclusive of all expenses, for auditing the accounts of the corporation for the year 2007-08"
3. To fix the remuneration of Statutory Auditors of the Company for the year 2008-09 reappointed by the Comptroller and Auditor General of India and to pass the following resolution as a special resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions Section 224(8) (aa) of the Companies Act, 1956, the Board of Directors of the company be and are hereby authorised to fix the remuneration of the Statutory Auditors, M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants for the year 2008-09.

SPECIAL BUSINESS:

4. APPOINTMENT OF SH. YUDHBIR SINGH DADWAL AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 and Articles of Association of the Company, Sh. Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police Delhi, be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

5. APPOINTMENT OF SMT. VIMLA MEHRA AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 and Articles of Association of the Company, Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police Delhi, be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

6. डॉ. शब्द प्रकाश बंसल की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के प्रावधानों के अनुसार डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण को एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

7. श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती को दिनांक 17.03.2008 की बोर्ड मीटिंग में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और वे पहली वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगी तथा, एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

8. श्री राम निवास शर्मा की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि श्री राम निवास शर्मा दिनांक 14.12.2007 की बोर्ड मीटिंग में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और वे पहली वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे तथा, एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

9. डॉ मुंगथ माधवन कुट्टी की निदेशक के रूप में नियुक्ति

विचार करना और यदि सही प्रतीत होता है, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि डॉ मुंगथ माधवन कुट्टी, निदेशक दिनांक 14.12.2007 की बोर्ड मीटिंग में अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और वे पहली वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे तथा, एतद्द्वारा स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाता है।”

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(विमला मेहरा)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.09.2008

6. APPOINTMENT OF DR. SHABD PRAKASH BANSAL AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Companies Act, 1956 and Articles of Association of the Company, Dr. Shabd Prakash Bansal, Additional Commissioner (Planning) Delhi Development Authority, be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation."

7. APPOINTMENT OF SMT. BALASUBRAMANIAM BHAMATHI AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT Smt. Balasubramaniam Bhamathi, a Director who was appointed as an additional Director in the meeting of the Board held on 17.03.2008 and who holds office as such upto the date of first Annual General Meeting and, be and is hereby appointed as a permanent Directors not liable to retire by rotation."

8. APPOINTMENT OF SH. RAM NIWAS SHARMA AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT Sh. Ram Niwas Sharma, a Director who was appointed as an additional Director in the meeting of the Board held on 14.12.2007 and who holds office as such upto the date of first Annual General Meeting and, be and is hereby appointed as a permanent Directors not liable to retire by rotation."


9. APPOINTMENT OF DR. MUNGATH MADHAVAN KUTTY AS DIRECTOR

To consider and if thought fit, to pass the following resolution, as an ordinary resolution;

"RESOLVED THAT Dr. Mungath Madhvan Kutty, a Director who was appointed as an additional Director in the meeting of the Board held on 14.12.2007 and who holds office as such upto the date of first Annual General Meeting and, be and is hereby appointed as a permanent Director not liable to retire by rotation.

Place: New Delhi
Dated : 01 September 2008

By order of the Board of Directors


(Vimla Mehra)
Managing Director

टिप्पणी:

1. बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए अधिकृत सदस्य को अपने स्थान पर किसी को प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने एवं अपने स्थान पर परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार है। परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का खाली प्रारूप संलग्न है और यदि प्रयुक्त करने का इरादा है, वार्षिक आम बैठक के शुरु होने के 48 घंटे से पहले कंपनी में जमा कर देना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में विशेष कार्य संबंधी व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 173(2) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के आधार पर प्रथम निदेशक नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार श्री युद्धबीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली को स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। निदेशक मंडल श्री युद्धबीर सिंह डडवाल को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत करते हैं।

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

मद सं. 5

श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली को कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के आधार पर प्रथम निदेशक नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार श्रीमती विमला मेहरा को स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। निदेशक मंडल, श्रीमती विमला मेहरा को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत करते हैं।

श्रीमती विमला मेहरा को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

मद सं. 6

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण को कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के आधार पर प्रथम निदेशक नियुक्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार श्री शब्द प्रकाश बंसल को स्थायी निदेशक, रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होने वाले, नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। निदेशक मंडल, श्री शब्द प्रकाश बंसल को निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत करते हैं।

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

मद सं. 7

श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया था निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार उनकी नियुक्ति को शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जा रहा है।

श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

Notes:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the company. A blank form of proxy is enclosed and if intended to be used, it should be returned to the company not less than forty-eight hours before the Annual General Meeting duly completed.
2. An explanatory statement pursuant to section 173(2) of the Companies Act, 1956 relating to special business is enclosed herewith.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 173(2) OF THE COMPANIES ACT 1956

ITEM NO. 4

Sh. Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police Delhi, was appointed by the Articles of Association of the Company as the first Director. As per the requirements of the Companies Act, 1956 Sh. Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police Delhi is proposed to be appointed as a Permanent Director not liable to retire by rotation. The Board recommends the appointment of Sh. Yudhbir Singh Dadwal as a Director for approval by the shareholders.

None of the Directors except Sh. Yudhbir Singh Dadwal, is interested in any way in the proposed resolution.

ITEM NO. 5

Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police Delhi, was appointed by the Articles of Association of the Company as the first Director. As per the requirements of the Companies Act, 1956 Smt. Vimla Mehra, is proposed to be appointed as a Permanent Director not liable to retire by rotation. The Board recommends the appointment of Smt. Vimla Mehra as a Director for approval by the shareholders.

None of the Directors except Smt. Vimla Mehra, is interested in any way in the proposed resolution.

ITEM NO. 6

Dr. Shabd Prakash Bansal, Additional Commissioner (Planning) Delhi Development Authority, was appointed by the Articles of Association of the Company as the first Director. As per the requirements of the Companies Act, 1956 Dr. Shabd Prakash Bansal, is proposed to be appointed as a Permanent Director not liable to retire by rotation. The Board recommends the appointment of Dr. Shabd Prakash Bansal as a Director for approval by the shareholders.

None of the Directors except Dr. Shabd Prakash Bansal, is interested in any way in the proposed resolution.

ITEM NO. 7

Smt. Balasubramaniam Bhamathi, was appointed by the Board of Directors of the Companies as an Additional Director of the company to hold office as such till the date of first Annual General Meeting. As per the requirement of the Companies Act, 1956; her appointment is being proposed for approval by the shareholders.

None of the Directors except Smt. Balasubramaniam Bhamathi, is interested in any way in the proposed resolution.

मद सं. 8

श्री राम निवास शर्मा को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया था निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार उनकी नियुक्ति को शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जा रहा है।

श्री राम निवास शर्मा को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है। मद सं. 8

मद सं. 9

डॉ. मुंगत माधवन कुट्टी को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहने के लिए अपर निदेशक नियुक्त किया था निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकता के अनुसार उनकी नियुक्ति को शेयरधार को अनुमोदन हेतु संस्तुत किया जा रहा है।

डॉ. मुंगत माधवन कुट्टी को छोड़कर कोई भी निदेशक प्रस्तावित संकल्प में इच्छुक नहीं है।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.

(विमला मेहरा)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01.09.2008

ITEMNO.8

Sh. Ram Niwas Sharma, was appointed by the Board of Directors of the Companies as an Additional Director of the company to hold office as such till the date of first Annual General Meeting. As Per the requirement of the Companies Act, 1956; his appointment is being proposed for approval by the shareholders.

None of the Directors except Sh. Ram Niwas Sharma, is interested in any way in the proposed resolution.

ITEMNO.9

Dr. Mungath Madhvan Kutty, was appointed by the Board of Directors of the Companies as an Additional Director of the company to hold office as such till the date of first Annual General Meeting. As Per the requirement of the Companies Act, 1956; his Appointment is being proposed for approval by the shareholders.

None of the Directors except Dr. Mungath Madhvan Kutty, is interested in any way in the proposed resolution.

By order of the Board of Directors


(Vimla Mehra)
Managing Director

Place: New Delhi

Dated : 01 September 2008

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड की पृष्ठभूमि और कार्य

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड (डीपीएचसीएल) की स्थापना मंत्रिमंडल की टिप्पणी के माध्यम से गृह मंत्रालय के दिनांक 02.06.2006 के पत्र द्वारा महामहिम भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन और कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दिनांक 16 नवंबर, 2007 को हुई। निगम की आज की तारीख में प्राधिकृत अंश पूंजी दस करोड़ रुपए है और प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रुपए है।

निगमन का उद्देश्य

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परियोजना के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से यह प्रस्तावित किया गया था कि दिल्ली पुलिस के लिए एक पुलिस आवास निगम की स्थापना की जाए। निगम की मुख्य इमारत सहित अथवा बिना इमारत के भूमि का अधिग्रहण, गतिविधि घरों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों इत्यादि का निर्माण और अनुरक्षण करना है।

गृह मंत्रालय के दिनांक 7 जुलाई, 2006 के पत्र सं 14014/02/05 यूटीपी के अनुसार, निगम में स्थायी स्थिति में निम्नांकित कोर स्टाफ होगा :

(i)	प्रबंध निदेशक	एजीएमयू संवर्ग का आईजी रैंक का आईपीएस अधिकारी
(ii)	पर्यवेक्षक इंजीनियर – एक	सीपीडब्ल्यूडी और अन्य सरकारी एजेंसियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति पर
(iii)	कार्यपालक इंजीनियर – एक	
(iv)	सहायक कार्यपालक इंजीनियर – दो	
(v)	महाप्रबंधक (वित्त)–सह–कंपनी सचिव – एक	प्रतिनियुक्ति पर

(i)	The Managing Director	An IPS Officer of the IG Rank of AGMU Cadre
(ii)	Superintending Engineer– One	Deputation from CPWD & other Govt. agencies/PSUs
(iii)	Executive Engineer– One	
(iv)	Assistant Executive Engineer – Two	
(v)	General manager (Finance) – cum- Company Secretary– One	On Deputation

निजी स्टाफ सहित कुल कार्यालयीन सहायक कार्मिक 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अपेक्षित तकनीकी स्टाफ को परियोजना आधारित संविदा सौंपी जाएगी।

BACKGROUND AND FUNCTION OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

Delhi Police Housing Corporation Limited (DPHCL) was formed with the approval of Hon'ble President of India vide MHA's letter Dated 02.06.2006 through Note for the Cabinet and incorporated in Dated 16th November, 2007 under Companies Act, 1956. The Authorized Share Capital of the Corporation is Rupees Ten crores and Paid up Capital of Rupees Five crores as on date.

OBJECTIVES OF INCORPORATION

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station Buildings, it was proposed that a Police Housing Corporation be established for Delhi Police. The main activities of the Corporation are to acquire land with or without buildings, undertake construction and maintenance of houses, offices or other buildings etc.

As per MHA's letter No. 14014/02/05-UTP dated 7th July, 2006 the Corporation shall have following core staff in permanent positions :-

The total supporting office staff should not be more than 10 including personal staff. The technical staff required for supervising of works will be on project based contract assignments.

वर्तमान संगठनात्मक संरचना :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर अध्यक्ष (पदेन)
2. विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली, बतौर प्रबंध निदेशक (पदेन)
3. गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
5. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक
6. दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि बतौर निदेशक

गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 22 जनवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/1/2012- यूटीपी के द्वारा डीपीएचसी के निदेशक मंडल के पुनर्गठन के लिए डीपीई को मंत्रिमंडल का सूचित अनुमोदन निम्नानुसार है:

1. सरकारी निदेशक - दो
2. स्वतंत्र निदेशक - दो
3. कार्यकारी निदेशक - दो

सरकारी निदेशक :- डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में सरकारी निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो सरकारी निदेशकों को प्रस्तावित किया है :

1. पुलिस आयुक्त, दिल्ली - पदेन अध्यक्ष
2. गृह मंत्रालय से एक प्रतिनिधि

स्वतंत्र निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में स्वतंत्र/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक होने चाहिए, बोर्ड में ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से न्यूनतम 1/3 होनी चाहिए। डीपीएचसीएल में दो स्वतंत्र निदेशक प्रस्तावित हैं।

कार्यकारी निदेशक : डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार प्रत्येक बोर्ड में कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, ऐसे निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वर्गीकरण : डीपीएचसीएल को लोक उद्यम विभाग द्वारा अनुसूची 'ग' सीपीएसई कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।

पंजीकरण : डीपीएचसीएल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अंतर्गत दिनांक 16.11.2007 को CIN - U4500DL2007GOI170534 द्वारा लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

PRESENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE :-

1. Commissioner of Police, Delhi as Chairman (Ex-Officio).
2. Special Commissioner of police as Managing Director (Ex-Officio).
3. One Representative of Ministry of Home Affairs as Director.
4. One Representative of Government of NCT of Delhi as Director.
5. One Representative of Ministry of Urban Development of India as Director.
6. One Representative from DDA as Director.

The MHA vide O.M. No. 14014/1/2012-UTP, dated 22nd January, 2016 has conveyed the approval of Cabinet to DPE to re-constitute the Board of Directors of DPHCL as under :-

1. Government Director - Two
2. Independent Director - Two
3. Functional Director - Two

GOVERNMENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every board should have Government Directors, the member of such Directors in the Board should not exceed 1/6th of the actual strength of the Board. DPHCL has proposed two Government Directors :-

1. Commissioner of Police, Delhi- Ex. Officio Chairman.
2. One representative from Ministry of Home Affairs.

INDEPENDENT DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have Independent/Non-official, Part-Time Directors; the number of such Directors in the Board should be at least 1/3rd of the actual strength of the Board. In DPHCL two Independent Directors are proposed.

FUNCTIONAL DIRECTORS :- As per DPE guidelines, every Board should have full time functional Directors; the number of such Directors in the Board should not exceed 50% of the actual strength of the Board.

CATEGORISATION :- DPHCL is categorized as a **Schedule "C" CPSE** Company by Department of Public Enterprises.

REGISTRATION :- DPHCL was registered under the Companies Act 1956 (No. 1 of 1956) as Limited Company vide CIN No. U4500DL2007GOI170534 dated 16.11.2007 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र : डीपीएचसीएल ने अपना व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 21.05.2008 को प्राप्त किया।

निगम के प्रचालन का क्षेत्र : संस्था के बहिर्नियम के अनुसार कंपनी की मुख्य गतिविधि पुलिस विभाग के फ्लैटों, कार्यालयों अथवा अन्य भवनों का विकास, निर्माण अथवा मरम्मत और अनुरक्षण हैं। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वर्तमान में, निगम ने दिल्ली पुलिस के भूमि और भवन कक्ष से चल रही 5 परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया है।

CERTIFICATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS :
DPHCL has also got its Certificate for Commencement of Business on 21.05.2008 by the Registrar of Companies, GNCT of Delhi.

AREA OF OPERATION OF THE CORPORATION :-
The main activity of the Company as per Memorandum of Association is to develop, construct, build or repair and maintain flats, offices or other buildings of Police Department. It is under the administrative control of Ministry of Home Affairs. Presently, the Corporation has undertaken five ongoing projects from the Land and Building Cell of Delhi Police.

विलंब का कारण

गृह मंत्रालय ने दिनांक 30 नवंबर, 2017 के ई-मेल के द्वारा लोक सभा सचिवालय का दिनांक 29 सितंबर, 2017 का कार्यालय ज्ञापन सं. 19/2/2017-2018/सीआईआई/सीपीएल, अग्रेषित किया तथा वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें तथा अन्य दस्तावेजों को सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रफोर्मा में तात्कालिक विभिन्न जानकारियों मांगी। अपेक्षित जानकारियों को निर्धारित प्रफोर्मा में वित्तीय वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट/लेखों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें, बीएजी की टिप्पणियों की प्रति 10^{वीं} वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त तथा दिनांक 21.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 46^{वीं} बैठक का कार्यवृत्त सहित दिनांक 31.01.2018 को इस कार्यालय के पत्र सं. 34/पी.सके.वि. पुआ/प्रनि/ डीपीएचसी/पीएचक्यू के द्वारा दी गई थी। इससे पूर्व गृह मंत्रालय ने सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक लेखों/लेखापरीक्षित रिपोर्टों के लिए नहीं कहा था। डीपीएचसीएल को सभा पटल पर वार्षिक लेखा को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया नहीं पता थी। अतएव डीपीएचसीएल ने अपनी गतिविधियों को आरंभ न करने के कारण और तकनीकी कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण पूर्व वित्तीय वर्षों के वार्षिक लेखों तथा लेखा परीक्षित लेखों को उपलब्ध नहीं कराया।

हालांकि, सीएंडएजी ने डीपीएचसीएल के लेखों की लेखापरीक्षा की है तथा उन्हें सभा पटल के समक्ष प्रस्तुत करने में कोई संदिग्धता नहीं है। तब से डीपीएचसीएल के अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक लेखें और लेखापरीक्षित लेखे आवश्यक कार्यवाही के लिए लगातार गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

REASON FOR DELAY

The MHA vide email dated 30th November, 2017 had forwarded the Lok Sabha Secretariat's OM No. 19/2/2017-2018/CII/CPL, dated 29th September, 2017 and sought various information urgently on the prescribed proforma for laying of Annual Report/Audited Accounts Reports and other documents on the table of the Houses. The required information on the prescribed proforma was conveyed to MHA vide this office letter No. 34/P.Sec.Spl.CP/MD/DPHC/PHQ, dated 31.01.2018 along with Annual Report/ Audited Accounts Reports for the Financial Year 2016-2017, copy of C&AG Comments, Minutes of 10th Annual General Body Meeting and 46th Board Meeting held on 21.12.2017. Prior to this MHA not asked the Annual Accounts/Audited Accounts Report for laying on the table of the Houses. DPHCL has not known for the procedure for laying the Annual Account on the table of the House. Hence, DPHCL has provided Annual Audited Accounts for the previous financial years on routine manner to MHA due to none starting of its activities and unavailability of technical staff.

However, C&AG undertake audit of accounts of DPHCL and no ambiguity has been noticed. Since then the Annual Accounts and Audited Accounts Reports, C&AG Comments alongwith other documents of DPHCL are being provided to MHA continuously for necessary action.

गृह मंत्रालय से दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए किताब के रूप में इसके साथ भेजे जा रहे हैं।

विलंब कथन

(वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के लिए)

यह गृह मंत्रालय ने दिनांक 23 दिसंबर, 2019 के पत्र सं. 14012/1/2019-यूटीपी/ भास/गृम के पत्र के संदर्भ में है। जिसके द्वारा गृह मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे और सीएजी रिपोर्टें/अभियुक्तियों के साथ अन्य दस्तावेजों (प्रत्येक वर्ष के पृथकतः द्विभाषी में) इसके साथ लोकसभा सचिवालय के दिनांक 6 सितंबर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एलएफईएस सीबी-II067/17/2019 सीबीII में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार, सभा पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया है। मामले पर तत्काल संज्ञान लिया गया और दिनांक 24 जनवरी, 2020 को 55वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची की मद सं. 14 पर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल ने विशेष पुलिस आयुक्त/प्रबंध निदेशक, दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड को यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराने के लिए अधिकृत किया है।

चूंकि पिछले 12 वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2018-19 तक का संचित कार्य था, सीएजी विभाग और डीपीएचसीएल के सनदी लेखाकार द्वारा लेखों और लेखापरीक्षित लेखों का संकलन/प्रमाणन पहले ही किया जा चुका है।

Now as per the directions of MHA received vide letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019, the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments along with other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) are sent herewith for laying on the table of the Houses in accordance with the procedure mentioned in the Lok Sabha Secretariat OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019 CBI, dated 6th September, 2019.

DELAY STATEMENT

(For the year 2007-2008 to 2018-2019)

This is in pursuance of MHA's letter No. 14012/1/2019-UTP/GOI/MHA, dated 23rd December, 2019 vide which MHA asked to furnish the Annual Audited Accounts and C&AG Reports/ Comments alongwith other documents w.e.f. 2007-2008 to 2018-2019 in Booklet form (separate for each year in bilingual) for laying on the table of the Houses in accordance with the Lok Sabha Secretariat's OM No. LAFEAS CB-II067/17/2019CBI, dated 6th September, 2019 in first time. The matter was immediately taken-up with senior officers and placed before the Board of Directors during 55th Board Meeting held on dated 24th January, 2020 vide Item No.14. The Board of Directors authorized Spl. Commissioner of Police/ Managing Director, Delhi Police Housing Corporation Limited to get the work done at the earliest.

Since there were backlogs for the past 12 years i.e. 2007-2008 to 2018-2019, compilation/ certification of Audited Accounts has already been done by the C&AG Department and Chartered Accountant of the DPHCL.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों

घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण के लिए परिव्यय के तेजी से उपयोग की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने अपनी 16 जून, 2006 को आयोजित बैठक में दिल्ली पुलिस आवास निगम के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तदनुसार, सरकार ने गृह मंत्रालय के दिनांक 10 जुलाई, 2006 के पत्र के आधार पर निगम को स्थापित किया। निगम बनाने का एकमात्र उद्देश्य अपने घरों और पुलिस स्टेशनों की इमारतों के निर्माण में आंतरिक कोर क्षमता का व्यावसायिक रूप से विकास करना है। यह लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए आवास अपर्याप्त हैं और इससे पुलिस कर्मियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस आवासीय अधिभोग का संतुष्टता स्तर बहुत ही कम लगभग 23% है। हम अगले पांच वर्ष के अंत तक 75% तक के संतुष्टता स्तर को पाने का प्रयास कर रहे हैं।

आपकी कंपनी के निदेशकों को 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए 1^{ली} वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी को व्यापार आरंभ करने के लिए प्रमाण-पत्र 21 मई, 2008 को मिला। कंपनी ने अभी अपना प्रचालन आरंभ नहीं किया है और कंपनी ने केवल पूर्व निगमीकरण और पूर्व-प्रचालन व्ययों का ही खर्च किया है। कंपनी ने निर्माण के लिए कोई परियोजना नहीं ली है। निदेशक मंडल निगम द्वारा परियोजनाओं को अभिनिर्धारित करने की प्रक्रिया में है।

अवरोध

निदेशक मंडल शेयरधारकों के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हम तकनीकी स्टाफ की भर्ती की प्रक्रिया में हैं और एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर निगम स्वतंत्र रूप से परियोजनाओं को निष्पादित करने की स्थिति में होगा। यह अपेक्षा की जाती है कि ये अवरोध चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी की प्रगति और प्रचालन में बाधा नहीं बनेंगे।

लाभांश

चूंकि निगमीकरण का यह पहला वर्ष है और कंपनी को अपनी गतिविधियों को आरंभ करना है, निदेशक मंडल ने किसी भी लाभांश को संस्तुत नहीं किया है।

मियादी निवेश

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई मियादी निवेश न स्वीकार किया है न नवीकृत किया है।

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

With a view to develop the capacity for faster utilization of outlays for construction of houses and Police Station buildings, the Cabinet in its meeting held on 16th June 2006 approved the proposal of creation of Delhi Police Housing Corporation Ltd. Accordingly the Government set up the Corporation vide MHA's letter dated 10th July, 2006. The sole objective of creating the Corporation has been to professionally develop In House core competencies in constructing its own houses and Police Buildings. It has been felt for a long time that the housing is inadequate for the personnel of Delhi Police and it has an adverse effect on the morale of the Police. At present Delhi Police has a very low housing occupancy satisfaction level of about 23%. We are striving to achieve a satisfaction level of 75% by the end the next five years.

Directors of your Company have the pleasure to present their 1st Annual Report for the period ended 31st March 2008

FINANCIAL RESULTS

The Company received Certificate of Commencement of Business on 21st May 2008. The Company has not yet started its operations, and the Company has incurred only the pre-incorporation and pre-operative expenses. The Corporation has not undertaken any project for construction. The Board of Directors is in the process of identifying the projects to be undertaken by the Corporation.

CONSTRAINTS

The Directors wish to bring to the knowledge of the shareholders that we are in the process of recruitment of the technical staff and one that stage is over the Corporation may be in a position to take up projects independently. It is expected that these constraints will not continue to hinder the progress and operations of the Company during the current financial year.

DIVIDEND

Since this is the first year of Incorporation and the company is yet to start its activities, the Board has recommended no dividend.

FIXED DEPOSITS

The Company has neither accepted not renewed any fixed deposits from public during the year under review.

धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना लागू नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेसन

ऊर्जा संरक्षण

चूंकि कंपनी विनिर्माण व्यापार में शामिल नहीं है, अतः इसके प्रचालन में ऊर्जा का कोई अधिक उपयोग नहीं हुआ है तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विवरणों का प्रकटीकरण), नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (इ) संबंधी विवरण अपेक्षित नहीं है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल में अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त, दिल्ली हैं और प्रबंध निदेशक, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड का गठन इस प्रकार है:

अध्यक्ष

श्री युद्धबीर सिंह डडवाल, पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 16.11.2007 से आज तक)।

प्रबंध निदेशक

श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली (दिनांक 16.11.2007 से आज तक)।

डॉ. शब्द प्रकाश बंसल, अपर आयुक्त (योजना), दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि।

श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती, संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, प्रतिनिधि गृह मंत्रालय।

श्री राम निवास शर्मा, संयुक्त सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।

डॉ. मुंगथ माधवन कुट्टी, संयुक्त सचिव (दिल्ली), शहरी विकास मंत्रालय, प्रतिनिधि शहरी विकास मंत्रालय।

श्री बेविस एंजेलो कुटिन्हो को 14.12.2007 को निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया था तथा उन्होंने 14.02.2008 को उनकी पदोन्नति और स्थानांतरण के कारण त्याग-पत्र दे दिया। निदेशक मंडल श्री बेविस एंजेलो कुटिन्हो का उनकी सेवा अवधि के दौरान अमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है।

कंपनी के कार्यव्यवहार के लिए वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की दिनांक 14 दिसंबर, 2007 तथा 17 मार्च, 2008 को दो बार बैठक हुई।

PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217 (2A)

During the year under review, the information required under section 217(2A) of the Companies Act, 1956, is not applicable.

ENERGY CONSERVATION AND TECHNOLOGY ABSORPTION

Energy Conservation

Since the Company is not involved in manufacturing business, it has no significant consumption of energy in its operations and as such no specific methods have been adopted to conserved energy.

The particulars pursuant to Section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Disclosure of Particulars on Report of Board of Directions) Rules, 1988 are not required.

DIRECTORS

The Board of Directors consists of a Chairman, who is the Commissioner of Police, Delhi a Managing Director who is a Special Commissioner of Police, Delhi.

The constitution of the Board during the year is as follows:

Chairman

Shri Yudhbir Singh Dadwal, Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 16.11.2007 as on date).

Managing Director

Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police, Delhi (w.e.f. 16.11.2007 as on date).

Dr. Shabd Prakash Bansal, Additional Commissioner (Planning), DDA, a representative of the Delhi Development Authority.

Smt. Balasubramaniam Bhamathi, Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs, a representative of the Ministry of Home Affairs,

Shri Ram Niwas Sharma, Joint Secretary (Home), GNCT of Delhi, a representative of the Government of the National Capital Territory of Delhi.

Dr. Mungath Madhavan Kutty, Joint Secretary (DL), MOUD, a representative of the Ministry of Urban Development, Government of India.

Shri Bevis Angelo Coutinho was appointed on the Board on 14.12.2007 and resigned from the Board w.e.f. 14.02.2008 due to his promotion and transfer. The Board wishes to place on record its sincere thanks for the valuable contributions made by Shri Bevis Angelo Coutinho during his tenure.

The Board met twice during the year on dated 14th December, 2007 and 17th March, 2008 for transaction of business of the Company.

निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

चूंकि कंपनी अपने निगमीकरण के प्रथम वर्ष में है और वर्ष 2007-08 के दौरान अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है, अतः निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था। निदेशक मंडल ने दिनांक 28.07.2008 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों के समावेशन से वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा के गठन को अनुमोदित किया है:

1. श्रीमती बालासुब्रमणियम भामती, संयुक्त सचिव (संघ शासित क्षेत्र), गृह मंत्रालय, दिल्ली
2. श्रीमती विमला मेहरा, विशेष पुलिस आयुक्त, दिल्ली
3. श्री राम निवास शर्मा, संयुक्त सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

निदेशकगण का उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुसरण में कंपनी के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- I. वार्षिक लेखे को तैयार करने में लागू लेखा मानदंडों का पालन किया गया है और उसी के लिए कोई तथ्यगत सामग्री बताने के लिए नहीं है।
- ii. 31 मार्च, 2008 को कंपनी के कार्य व्यवहार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य देने के लिए निदेशकगणों ने ऐसी लेखांकन नीति को अपनाया और विषयों का उपयुक्ततः प्रकटन करने के साथ लगातार लागू किया तथा निर्णय एवं प्राक्कलन किया, जो कि उचित और विवेकी हैं।
- iii. निदेशकों ने निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अनियमितताओं का पता लगाने व रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।
- iv. निदेशकों ने वार्षिक लेखे को चलायमान आधार पर तैयार किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2007-08 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है। निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैसर्स प्रदीप गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार द्वारा लेखों पर टिप्पणियों सहित प्रस्तुत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और कोई पृथक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

AUDIT COMMITTEE OF DIRECTORS

As the company is in the first year of incorporation and it has not started its operations during the year 2007-08, the Audit Committee of Directors was not constituted. The Audit Committee for the year 2008-09 comprising of the following members of the Board is approved by the Board of Directors in their meeting held on 28.07.2008:

1. Smt. Balasubramaniam Bhamathi, Joint Secretary (UT), MHA, Delhi
2. Smt. Vimla Mehra, Special Commissioner of Police, Delhi
3. Shri Ram Niwas Sharma, Joint Secretary (Home), Government of the National Capital Territory of Delhi.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement of Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 Directors of the company confirm that:

- i. In preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from the same.
- ii. The Directors have selected such accounting policies and applied them consistently with departures disclosed appropriately and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2008 and of the profit & loss of the Company for the year ended on that date.
- iii. The Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities, and
- iv. The Directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

STATUTORY AUDITORS

The Comptroller & Auditor General of India appointed M/s Pradeep Gopal & Company, Chartered Accountants, New Delhi as Company's Statutory Auditors for the year 2007-2008. The Board of Directors would like to place on record their sincere thanks to the valuable services rendered by the Statutory Auditors.

AUDITORS' REPORT

The Auditors' Report submitted by M/s Pradeep Gopal and Company, Chartered Accountants alongwith notes to accounts is self-explanatory and requires no separate comments.

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंध समिति का उत्तर **अनुलग्नक-क** पर है।

सराहना

कंपनी के निदेशकगण निगम के मामले को अग्रसक्रिय रूप से कार्यात्मक करने के लिए गृह मंत्रालय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हम निगम के लिए प्रणाली और प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एनबीसीसी को भी धन्यवाद देते हैं। प्रबंध निदेशक/डीपीएचसी को उनकी अत्यधिक रुचि और कंपनी की स्थापना के लिए अपार और उत्साही प्रयास के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने निगम के मामले को गृह मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय के साथ सतत् उत्साह के साथ आगे बढ़ाया ताकि निगम के प्रचालन में गति आए।

आभारोक्ति

आपका निगम दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूर्णरूपेण तथा बाधाहित सहायता के लिए तथा इसमें निर्माणस्तर पर कंपनी को दी गई सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कंपनी की विद्यमता हेतु सहायता देने के बावजूद भी संभव नहीं हो सका। हम कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम एवं केरल राज्य पुलिस आवास और निर्माण निगम दोनों पुलिस निगमों का पुलिस आवास निगमों की प्रणाली व प्रक्रिया के अध्ययन में सहायता प्रदान करने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, कंपनी के बैंकर, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा विभिन्न परामर्शदाता एसोसिएट्स का कंपनी को बहुमूल्य सहायता देने के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। हम निगम के विधि सलाहकार का कंपनी की स्थापना और कंपनी के कार्यों की व्यवस्थित करने के लिए उनकी सतत् सेवा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अंत में, आपके निदेशकगण दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों और भिन्न स्तरों से लिए गए कंपनी के स्व-अनुशासित, अत्यधिक प्रेरित और समर्पित कर्मचारियों के आभारी हैं। हमें विश्वास है कि उनके उमंग और उत्साह से कंपनी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेगी।

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2008

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

(17)

MANAGEMENT REPLY TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

Management Reply to the comments of Comptroller and Auditor General of India in Audit Report is placed at **Annexure-A**.

APPRECIATION

Directors of the Company wish to express their sincere gratitude to the Ministry of Home Affairs in proactively taking up the Corporation matters to make it functional. We also thank NBCC for providing us the background material for setting up the systems and procedures for the Corporation. A word of appreciation is also placed on record for MD/DPHC for her boundless passion and efforts, for taking keen interest and making untiring efforts to establish the Company. She has zealously pursued the Corporation matters with Home and Urban Development ministries to speed up the operations of the Corporation.

ACKNOWLEDGMENTS

Your Directors would like to express their sincere thanks to the officers and employees of Delhi Police, MHA, DDA, GNCT and Ministry of Urban Development, New Delhi for their whole-hearted and unstinted support and cooperation extended to the Company in its formative stage but for their support the existence of the Company, perhaps, would not have been possible. We also acknowledge the opportunity extended to us by the two Police Housing Corporations, Karnataka State Police Housing Corporation and Kerala Police Housing and Construction Corporation Limited to help us study the systems and procedures in a Police Housing Corporation. Thanks are also due to the SBI, the bankers of the Company, Statutory Auditors of the company and various consulting associates for giving valuable advice to the Company. We are also thankful to the Company Law Advisor of the Corporation for her untiring efforts in setting up and organizing the company affairs. Last but not the least; your Directors are thankful to the self-disciplined, highly motivated and dedicated staff of the Company drawn from different disciplines and at different levels from Delhi Police. We are sure that with their zeal and enthusiasm the Company would rise to greater heights.

For and on behalf of Board of Directors

Place : New Delhi.
Dated: 28.07.2008

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

31 मार्च, 2008 को तुलन-पत्र

आंकड़े रुपये में

विवरण	अनुसूची सं.	31 मार्च, 2008 को
निधियों का स्रोत शेयरधारकों की निधि शेयर पूंजी आरक्षित और अधिशेष ऋण की निधि	क	50,000,000 - -
कुल		50,000,000
निधि का उपयोगन स्थायी आस्तियां: सकल ब्लॉक घटाएं: मूल्यहास निवल ब्लॉक कार्यशील पूंजी प्रगति में चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम नकद और बैंक शेष ऋण और अग्रिम घटाएं: चालू देयताएं और प्रावधान देयताएं प्रावधान निवल चालू आस्तियां विविध व्यय प्राथमिक व्यय (बट्टे खाते में समायोजित नहीं किए जाने तक)	ख	72,800 49,999,450 - 49,999,450
	ग	842,716 16,562 859,278
		49,140,172
		787,028
कुल		50,000,000

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
लेखों पर टिप्पणी

घ
ड

अनुसूची क से ड लेखों का एक अभिन्न भाग है

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एडं कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(विमला मेहरा)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2008

Figures in Rupees

Description	Schedule No.	As at 31st March 2008
<u>SOURCES OF FUNDS</u>		
Shareholder's Funds:		
Share Capital	A	50,000,000
Reserve & Surplus		-
Loan Funds		-
Total		50,000,000
<u>APPLICATION OF FUNDS</u>		
Fixed Assets:		
Gross Block		-
Less Depreciation		-
Net Block		-
Capital Work in Progress		72,800
Current Assets, Loans & Advances		
Cash and Bank Balances	B	49,999,450
Loans and Advances		-
		49,999,450
Less: Current Liabilities & Provisions		
Liabilities	C	842,716
Provisions		16,562
		859,278
Net Current Assets		49,140,172
Miscellaneous Expenditure		
Preliminary Expenses		787,028
(To the extent not written off or adjusted)		
Total		50,000,000

Significant accounting policies
Note on accounts

D
E

Schedule A to E form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Vimla Mehra)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008

**31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय का विवरण**

आंकड़े रुपये में

विवरण	31.03.2008 को समाप्त अवधि को
<u>व्यय</u>	
<u>प्रशासनिक व्यय</u>	
मुद्रण और लेखन सामग्री	5,250.00
फीस और सदस्यता	2,000.00
बैंक प्रभार	550.00
प्रतिधारण प्रभार	54,000.00
उप-कुल	61,800.00
सांविधिक लेखापरीक्षक की फीस	11,000.00
तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष (कार्यशील पूंजी)	72,800.00

अनुसूची क से ड लेखों का एक अभिन्न भाग है

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(विमला मेहरा)
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008

**STATEMENT OF INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION
FOR THE PERIOD ENDED 31st MARCH 2008**

Figures in Rupees

Description	Period ended on 31.03.2008
Expenses	
Administration expenses	
Printing and Stationery	5,250.00
Fee & subscription	2,000.00
Bank charges	550.00
Retainership charges	54,000.00
Sub-Total	61,800.00
Statutory Auditors' fee	11,000.00
Balance carried to Balance Sheet (CWIP)	72,800.00

Schedule A to E form an integral part of Accounts

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Vimla Mehra)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008

अनुसूची 'क' – शेयर पूंजी

आंकड़े रुपये में

विवरण	31.03.2008 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी प्रति रुपए 100/- के 10,00,000 के ईक्विटी शेयर	100,000,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी प्रति रुपए 100/- के 5,00,000 ईक्विटी शेयर के लिए अभिदत्त शेयर पूंजी लंबित आवंटन	50,000,000.00
कुल	50,000,000.00

अनुसूची 'ख' – चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

आंकड़े रुपये में

विवरण	31.03.2008 को
I चालू आस्तियां (क) नकद और बैंक शेष चालू खाते में – अनुसूचित बैंक के पास	49,999,450.00
कुल (क)	49,999,450.00
II ऋण और अग्रिम (ख) ऋण और अग्रिम	
कुल (ख)	
कुल	49,999,450.00

अनुसूची 'ग' – चालू देयताएं और प्रावधान

आंकड़े रुपये में

विवरण	31.03.2008 को
I चालू देयताएं दिल्ली पुलिस आशु गुप्ता एंड कंपनी	787,028.00 55,688.00
कुल (क)	842,716.00
II प्रावधान अदायगीयोग्य लेखापरीक्षा फीस अदायगीयोग्य स्रोत पर कर की कटौती	11,000.00 5,562.00
कुल (ख)	16,562.00
कुल	859,278.00

SCHEDULE 'A' – SHARE CAPITAL

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2008
Authorised Share Capital 10,00,000 Equity shares of Rs.100 each	100,000,000.00
Issued, Subscribed and Paid up Subscribed share capital pending allotment for 5,00,000 Equity shares of Rs.100 each	50,000,000.00
Total	50,000,000.00

SCHEDULE 'B' – CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2008
I. CURRENT ASSETS (A) Cash and bank balances: - in Current account - with Scheduled Bank	49,999,450.00
Total (A)	49,999,450.00
II. LOANS AND ADVANCES (B) Loans & Advances	
Total (B)	
Total	49,999,450.00

SCHEDULE 'C' – CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

Figures in Rupees

Description	As at 31.03.2008
I. CURRENT LIABILITIES Delhi Police Ashu Gupta & co.	787,028.00 55,688.00
Total (A)	842,716.00
II. PROVISIONS Audit Fee Payable TDS Payable	11,000.00 5,562.00
Total (B)	16,562.00
Total	859,278.00

अनुसूची 'घ' – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण को तैयार करने का आधार

लेखांकन परिपाटी – वित्तीय विवरणिकाओं को उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रस्तुति की प्रासंगिक आवश्यकता का पालन करते हैं।

2. स्थायी आस्तियां

वर्ष के दौरान कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई।

3. मूल्यांकास

कोई स्थायी आस्तियां खरीदी नहीं गई, अतएव वर्ष के दौरान, कोई मूल्यांकास प्रभारित नहीं किया गया।

4. कार्यशील पूंजी प्रगति पर

कार्य आरंभ से पूर्व की मुद्रण और लेखन सामग्री/फीस और सदस्यता/बैंक प्रभार/ प्रतिधारण शुल्क/ सांविधिक लेखापरीक्षक की फीस पर किए गए व्यय को कार्यशील पूंजी के रूप में माना गया है।

5. चालू देयताएं

आरंभिक खर्चों को दिल्ली पुलिस द्वारा वित्तपोषित किया गया है और जिसे उन्हें अदा किया जाना है, को चालू देयताएं माना गया है।

6. आय (राजस्व) मान्यता नीति

आय को जब कभी अर्जित किया जाएगा मान्यता दी जाएगी।

7. कर के लिए लेखांकन

वर्ष के दौरान 'शून्य' आय के कारण कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

8. प्रावधान

प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक दायित्व होता है।

SCHEDULE NO. D – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

Accounting Convention – The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis and in accordance with generally accepted accounting principles and applicable accounting standards in India. The financial statements adhere to relevant presentation requirement of the Companies Act, 1956.

2. FIXED ASSETS

No Fixed Assets purchased during the year.

3. DEPRECIATION

There is no fixed Assets purchased hence no depreciation charged during the year.

4. CAPITAL WORK IN PROGRESS

Expenditures incurred on Printing & stationery/ Fee & Subscription/ Bank Charges/ Retainership Fee/ Statutory Audit's fee prior to commencement have been treated as Capital Work in Progress.

5. CURRENT LIABILITIES

Preliminary expenses incurred have been financed by Delhi Police and payable to them are considered as Current Liabilities.

6. REVENUE RECOGNITION POLICY

Income is recognized as and when accrued.

7. ACCOUNTING FOR TAXES

No provision for tax has been made on account of NIL income during the year.

8. PROVISIONS

Provisions are recognized when the company has a present legal or constructive obligation

अनुसूची ड लेखों पर टिप्पणियां

1. कंपनी की स्थापना 16 नवंबर, 2007 को हुई तथा 21 मई, 2008 को व्यापार आरंभ करने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया। तदनुसार, यह कंपनी की पहली लेखांकन अवधि अर्थात् 16 नवंबर, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक होने के कारण, पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े लागू नहीं हैं।
2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने संस्था के बहिर्नियम के लिए सब्सक्राइबर्स से रु.5,00,00,000/- की राशि का अभिदत्त शेयर प्राप्त किया। दिनांक 31.03.2008 को निदेशक मंडल द्वारा शेयरों का आवंटन लंबित है।
3. कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं, इन प्रतिनिधियों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। इन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का ब्यौरा:

क्रसं० S. No.	नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	त्यागपत्र की तारीख Date of Resignation
1.	श्री युद्धबीर सिंह डडवाल Sh. Yudhbir Singh Dadwal	अध्यक्ष Chairman	16-11-2007	जारी Continuing
2.	श्रीमती विमला मेहरा Smt. Vimla Mehra	प्रबंध निदेशक Managing Director	16-11-2007	जारी Continuing

4. कंपनी ने अभी अपना व्यावसायिक प्रचालन आरंभ नहीं किया है अतः लाभ और हानि खाता तैयार नहीं किया गया है। कार्यालय के सृजन के दौरान रु.72,800/- के व्यय को अवधि के दौरान प्रासंगिक व्यय के रूप में माना गया है।

इसके अलावा, कंपनी के गठन संबंधी फाइल/कानूनी फीस संबंधी किए गए व्ययों तथा कंपनी की स्थापना से पूर्व किए गए रु.7,87,028/- के सभी व्ययों को प्राथमिकी व्यय के रूप में माना गया है। वर्ष के दौरान प्राथमिकी व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसे कंपनी के व्यावसायिक प्रचालन की शुरुआत के बाद बट्टे खाते में डाला जाएगा।
5. कंपनी के निगमीकरण संबंधी सभी भुगतान दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए और उन्हें भुगतान किया जाना है।
6. चालू देयता में शेष पुष्टि के अधीन है।

SCHEDULE NO. E NOTES ON ACCOUNTS

1. The Company was incorporated on November 16, 2007 and Certificate for Commencement of Business was issued on May, 2008. Accordingly, this being the first Accounting period of the Company commencing from date of incorporation i.e., November 16, 2007 till 31st March, 2008, previous year figures are not applicable.
2. The Company has received share subscription amount Rs.5,00,00,000/- from subscribers to the memorandum of association of the company during the year. The allotment of shares by the Board was pending on 31.03.2008.
3. The key Management Personnel of the company are employees of Delhi Police, no management remuneration is paid to such representatives by the company. The details of such Key Management Personnel are as follows:

4. The company has not yet commenced its commercial operations therefore not Profit & Loss account has been prepared. Expenditures incurred during construction period amounting to Rs.72,800/- has been treated as Incidental Expenditure during Construction Period.

Further, expenditure incurred on filing/legal fees regarding formation of the Company and all expenses incurred prior to the incorporation of the company amounting to Rs.7,87,028/- have been treated as Preliminary expenses. No provision has been made for writing off the Preliminary expenses during the year. The same will be written off after commencement of commercial operations of the company.
5. All payments relating to incorporation of the company are made by Delhi Police and are payable to them.
6. Balances in current liabilities are subject to confirmation.

7. कं॒पनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी सभी लागू लेखा मानकों का पालन किया है।
8. कं॒पनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।
9. कं॒पनी का लघु उद्योगों/उपक्रमों के प्रति बकाया देयता नहीं है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(**PRADEEP AGARWAL**)
FCA
Partner

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008

7. The Company has complied with all the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
8. There is no contingent liability of the Company.
9. The Company has not outstanding liability towards small-scale industries/undertakings.

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह. (युद्धबीर सिंह डडवाल) अध्यक्ष
ह. (विमला मेहरा) प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board

Sd/- (Yudhbir Singh Dadwal) Chairman
Sd/- (Vimla Mehra) Managing Director

**कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में सूचना
तुलन-पत्र सार और कंपनी के कारोबार की सामान्य रूपरेखा**

1. पंजीकरण ब्यौरा	राज्य कोड	55	
	पंजीकरण संख्या	U45400DL2007GOI170534	
तुलन-पत्र की तारीख	31 तारीख	03 माह 2008 वर्ष	
2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि रुपयों में)	सार्वजनिक निर्गम	अधिकार निर्गम	
	—	—	
	बोनस निर्गम	निजी नियोजन	
	—	50,000,000	
3. निधियों के जुटाने और नियोजन की स्थिति	कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां	
	50,000,000	50,000,000	
	प्रदत्त पूंजी	आरक्षित और अधिशेष	
	50,000,000	—	
	प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	
	—	—	
	आस्थगित कर देयता		
	—		
	निधियों का उपयोग	शुद्ध अचल परिसंपत्तियां (कार्यशील पूंजी सहित)	निवेश
		72,800	—
	निवल चालू परिसंपत्तियां	ऋण	
	49,140,172	—	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	संचयी घाटा	
	—	—	
	विविध व्यय		
	787,028		
4. कंपनी का कार्य-निष्पादन	कारोबार	कुल व्यय	
	—	—	
	कर पूर्व लाभ	कर पश्चात् लाभ	
	—	—	
कर-पूर्व लाभ	प्रति शेयर अर्जन रुपए में	लाभांश दर	
	—	—	
5. कंपनी के मुख्य उत्पादों/सेवाओं के वर्ग नाम			
	1. मद कोड सं. (आईटीसी) उत्पाद विवरण	—	
	2. मद कोड सं. (आईटीसी) उत्पाद विवरण	—	
	3. मद कोड सं. (आईटीसी) उत्पाद विवरण	—	

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए.
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008

कृते निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

ह.
(युद्धबीर सिंह डडवाल)
अध्यक्ष

ह.
(विमला मेहरा)
प्रबंध निदेशक

**INFORMATION PURSUANT TO PART IV OF SCHEDULE VI OF THE COMPANIES ACT, 1956
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE**

1. REGISTRATION DETAIL	Registration No.	State Code:	55	
	Balance Sheet Date	31	03	
		Date	Month	2008
2 .CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (Amount in Rs.)	Public Issue		Right Issue	
		—		
	Bonus Issue		Private Placement	
	—		50,000,000	
3. POSITION OF MOBILISATION AND DEVELOPMENT OF FUNDS	Total Liabilities		Total Assets	
		50,000,000		50,000,000
	SOURCES OF FUNDS	Paid up capital	Reserves & Surplus	
		50,000,000		—
		Secured Loans	Unsecured Loans	
		—		—
		Deferred Tax Liability		—
		—		
	APPLICATIONS OF FUNDS	Net Fixed Assets (Incl. Capital WIP)		Investments
		72,800		—
	Net Current Asstes		Loans	
	49,140,172		—	
	Deferred Tax Assets		Accumulated Losses	
	—		—	
	Misc. Expenditure			
	787,028			
4. PERFORMANCE OF COMPANY	Turnover		Total Expenditure	
		—		—
	Profit before Tax		Profit After Tax	
		—		—
	Earning Per Share in Rs.		Dividend Rate	
	—		—	
5. GENERIC NAMES OF PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF THE COMPANY	1. Item Code No. (ITC Code)			
	Product description			
	2. Item Code No. (ITC Code)			
	Product description			
	3. Item Code No. (ITC Code)			
	Product description			

In terms of our report of even date
For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board

Sd/-
(PRADEEP AGARWAL)
FCA
Partner

Sd/-
(Yudhbir Singh Dadwal)
Chairman

Sd/-
(Vimla Mehra)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008



प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

104, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स बी-6, सुभाष चौक
लक्ष्मी, नगर दिल्ली – 110092
दूरभाष : 22413414,22050953



Pradeep Gopal & Company
Chartered Accountants

104, Laxmi Complex, B-6, Subhash Chowk,
Laxmi Nagar, Delhi – 110092
Ph.: 22413414,22050953

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

1. हमने **दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड** की 31 मार्च, 2008 के संबद्ध तुलन-पत्र और उसी के साथ संबद्ध उसी तारीख को समाप्त अवधि की गठन की अवधि के दौरान के प्रासंगिक व्ययों के विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। चूंकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक प्रचालनों को आरंभ नहीं किया है इसलिए 31 मार्च, 2008 को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंध तंत्र का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस प्रकार करें कि उससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत बयानी नहीं है। लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों और राशियों से संबंधित साक्ष्यों की जांच की जाती है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण करना और साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र रूप से प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार हम भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित, अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में इसके साथ विवरण संलग्न करते हैं।

4. उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित अनुलग्नक में दी गई अपनी टिप्पणियों के अतिरिक्त हम यह स्पष्ट करते हैं कि:

AUDITOR'S REPORT

THE MEMBERS

OF DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED.

1. We have audited the attached Balance Sheet of **DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED** as at 31st March, 2008 and also the Statement of Incidental Expenses during the Construction period ended on that date annexed thereto. Since the company has not started its commercial operations, no Profit & Loss account has been prepared for the period ended 31st March, 2008.

These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. As required by the Companies (Auditor's Report) order 2003 issued by the Central Government of India in terms of Sub Section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956, we enclose in the annexure hereto a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said Order.

Further to our comments in the annexure referred in paragraph 3 above, we report that:



- (i) हमने वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।
- (ii) हमारी राय में, जहां तक खाता बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी ने विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हैं।
- (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित इस रिपोर्ट के अनुसार गठन अवधि के दौरान तुलन-पत्र और प्रासंगिक व्यय खाता बहियों से मेल खाते हैं।
- (iv) हमारी राय में कंपनी के गठन अवधि के दौरान तुलन-पत्र और प्रासंगिक व्यय में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित अधिदेशी लेखा मामलों का पालन किया गया है।
- (v) कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001-सीएल-V के अनुसार सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधानों की प्रयोजनीयता से सरकारी कंपनी को छूट मिली है।
- (vi) लेखा मानक (एएस)-26 में अपेक्षित अनुसार रु. 7,87,028/- के प्राथमिक व्यय को लाभ और हानि लेखा (लेखों की टिप्पणी की संख्या 4) में प्रभारित नहीं किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने अपना व्यापार आरंभ नहीं किया है इसलिए लाभ और हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।
- (vii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और उक्त पैरा (vi) की हमारी टिप्पणी के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित उक्त लेखा, उसके साथ में पठित टिप्पणियों के साथ यथा अपेक्षित सूचना देते हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं;
- (क) 31 मार्च, 2008 को कंपनी के कार्यकलापों की दी गई स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के मामले में, और
- (ख) उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिए किए गए व्ययों हेतु गठन अवधि के दौरान प्रासंगिक व्ययों को दर्शाने वाली विवरणिका के मामले में।



रूते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008

- (i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) In our opinion, proper books of account as required by the law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- (iii) The Balance Sheet and Incidental Expenses during the Construction period dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (iv) In our opinion, the Balance Sheet and Incidental Expenses during the Construction period of the Company comply with the mandatory accounting standards referred to in Section 211(3C) of the Companies Act, 1956;
- (v) Vide notification No. 2/5/2001-CL.V dated 22.03.2002 of the Department of Company Affairs, Government of India, Government Companies have been exempted from applicability of the provisions of Section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956;
- (vi) Preliminary expenses of Rs.7,87,028 have not been charged to Profit & Loss Account (Note No.-4 of Notes to Accounts) as required in terms of Accounting Standard (AS)-26, in view of the fact that the Company has not prepared the Profit & Loss Account as the business of the Companies is yet to commence.
- (vii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and further to our comments in para (vi) above, the said accounts, read with the noted thereon give the information required by the Companies Act 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;
- (a) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2008; and
- (b) In the case of the statement showing incidental Expenses during the Construction Period for expenses incurred for the period ended on that date.



For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(**PRADEEP AGARWAL**)
FCA
Partner

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित

- (i) मद सं. (i) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (ii) मद सं. (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता क्योंकि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी की कोई प्रविष्टि नहीं है।
- (iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा पार्टियों को/से प्रतिभूत/अप्रतिभूत न किसी को ऋण प्रदान किया न लिया।
- (iv) चूंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई व्यापार शुरू नहीं किया मद सं. (iv) लागू नहीं होती।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित किसी संविदा अथवा प्रबंधन में शामिल नहीं हुई।
- (vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई निवेश स्वीकार नहीं किया है।
- (vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई व्यापार आरंभ नहीं किया।
- (viii) चूंकि कंपनी ने व्यापार आरंभ नहीं किया है, कंपनी पर मद सं. (viii) लागू नहीं है।
- (ix) (क) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च, 2008 को अदायगी योग्य की तारीख से छह मास से अधिक की अवधि के लिए कोई सांविधिक बकाया देय नहीं है।
(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, उपकर के कोई विवाद देय नहीं है।
- (x) कंपनी की स्थापना 16.11.2007 को हुई थी और कंपनी का यह पहला वर्ष है, अतः मद सं. (x) कंपनी पर लागू नहीं होता।

Referred to in Paragraph 3 of our report of even date..

- (i) Point No. (i) is not applicable to the Company as Company had no fixed assets during the period of audit.
- (ii) Point No. (ii) is not applicable to the Company as Company had no inventory during the period of audit.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has neither granted nor taken any loan, secured or unsecured to/from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the period of audit.
- (iv) As company did not commence the business during the period of audit, point no. (iv) is not applicable.
- (v) According the information and explanation given to us, company did not enter into any contract or arrangement referred to in Section 301 of the Act.
- (vi) According to the information and explanation given to us, the Company has not accepted any deposit from the public.
- (vii) According to the information and explanation given to us, there was no requirement of Internal Audit as Company had not commenced business during the period of audit.
- (viii) As the Company has not commenced business, point no. (viii) is not applicable to the Company.
- (ix) (a) According to the records of the Company, no statutory dues were outstanding as at 31st March, 2008 for a period of more than six months from the date of becoming payable.
(b) According to the information and explanations given to us, there is no disputed dues of income tax/sales tax/wealth tax/service tax/customs duty/ excise duty/cess.
- (x) The Company is incorporated on 16.11.2007 and it is the first year of the Company, as such point no. (x) is not applicable to the Company.



- (xi) मद सं. (xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया गया।
- (xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल लाभ निधि/सोसायटी नहीं है। अतएव कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड 4(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xiv) मद सं. (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- (xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के लिए गारंटी नहीं दी है।
- (xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर बनाई गई निधियों का उपयोग नहीं किया है।
- (xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पार्टियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आती है।
- (xviii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
- (xix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के रूप में कोई धन नहीं उठाया है।
- (xx) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की, हमारी जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें, वर्ष के दौरान कंपनी पर अथवा कंपनी के द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न दिखी अथवा रिपोर्ट की गई।

- (xi) Point no. (xi) is not applicable to the Company.
- (xii) According to the information and explanation given to us, no loan and advance has been granted by the Company on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- (xiii) According to the information and explanation given to us, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore provisions of clause 4(xiii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 are not applicable to the Company.
- (xiv) Point no. (xiv) is not applicable to the Company.
- (xv) Accordingly to information and explanations given to us, Company has not given guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
- (xvi) According to information and explanations given to us, the Company has not utilised fund raised on short term basis towards long term investments.
- (xvii) According to information and explanations given to us, the Company has not made preferential allotment of shares during the year to parties and companies covered in the Register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- (xviii) According to the information and explanation given to us, the Company has not issued debenture during the year.
- (xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any money by way of public issue during the year.
- (xx) During the course of our examination of the books of account carried out in accordance with the generally accepted auditing standards in Indian and as per the information and explanations given to us, we have not come across any instance of fraud, either notices or reported during the year on or by the Company.



कृते प्रदीप गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ह.
(प्रदीप अग्रवाल)
एफ.सी.ए
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.07.2008



For **PRADEEP GOPAL & Co.**
Chartered Accountants

Sd/-
(**PRADEEP AGARWAL**)
FCA
Partner

Place : New Delhi
Date : 28.07.2008

दिल्ली पुलिस आवास निगम लिमिटेड

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत उपक्रम)

DELHI POLICE HOUSING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking under Ministry of Home Affairs)

(सीआईएन सं. यू4500डीएल2007जीओआई170534)

(CIN No.: U4500DL2007GOI170534)

के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दूरभाष : 011-23490357 ई-मेल : dphcltd@yahoo.com

K-Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate, New Delhi – 110002

Phone : 011-23490357 E-mail : dphcltd@yahoo.com